झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 17.03.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, अशोक कुमार एवं श्री राधाकृष्ण किशोर स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य योजना पर्षद का गठन किया गया। राज्य योजना पर्षद अपने गठन के समय से ही निष्प्रभावी रहा है और राज्य की वार्षिक अथवा पंचवर्षीय योजना के निर्माण में इसकी भागीदारी शून्य रही है। राज्य हित में प्रभावकारी नहीं रहने के बावजूद एक अवकाश प्राप्त कर्मी को विगत दो वर्षो से संविदा पर नियुक्त कर प्रतिवर्ष 15 लाख रूपये का निष्फल व्यय किया जा रहा है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता पद के अनुरूप नहीं है। संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक- 4569/वि; दिनांक- 05.07.2005 द्वारा परिपत्र निर्गत है जिसमें कंडिका (7) मे संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया उल्लेखित है। जिसका अनुमोदन विभिन्न विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है। वर्णित परिस्थिति में मैं केन्द्र की नीति आयोग की तर्ज पर झारखण्ड में राज्य विकास पर्षद का गठन करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	योजनां एवं विकास
02-	सर्वश्री शिवशंकर उराँव, ताला मराण्डी एवं श्री लक्ष्मण टुडू स0वि0स0	एकीकृत बिहार राज्य के समय से ही विगत 33 वर्षो से भारत सरकार में "आदिवासी शक्ति स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय" स्थापना का प्रस्ताव लम्बित है। झारखण्ड राज्य के गुमला जिलान्तर्गत झारखण्ड-छत्तीसगढ़ राज्य की सीमांत पर परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी प्रखंड एवं रायडीह प्रखंड के	मानव संसाधन विकास

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		अन्तर्गत मांझाटोली लोदाम के पास उक्त विश्वविद्यालय हेतु उपयुक्त स्थान प्रस्तावित है। दोनों राज्यों का यह इलाका नक्सलवाद ग्रसित इलाके के रूप में चिन्हित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना होने से उच्चतर शैक्षणिक वातावरण निर्मिति के साथ-साथ नक्सलवाद नियंत्रण में सकारात्मक पहल होगा। इस अति महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के निर्माण की मांग को लेकर विगत पाँच वर्षो से क्षेत्र के लोगों में अति उत्साह है। क्षेत्र के लोग इस पुनीत कार्य के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार बैठे हैं। व्यापक लोकहित से संदर्भित यह एक गंभीर मामला है, सरकार को इस प्रस्ताव का अविलम्ब अनुशंसा करके केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए। अतएव आदिवासी शक्ति स्वायत्तशासी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, मांझाटोली, गुमला में अविलम्ब स्थापना व संचालन हेतु पुनः अनुशंसा कर केन्द्र सरकार को भेजने की ओर सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	
03-	श्रीमती गीता कोड़ा स0वि0स0	झारखण्ड सरकार वर्ष 2002 में किसानों के लिए कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना चलाई थी। इस योजना के तहत लाभुक एवं सरकार को एक-एक रूपया प्रतिदिन प्रीमियम देने की योजना थी। लाभुको ने दस वर्षो तक अपना प्रीमियम इस योजना क तहत एजेन्ट टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट नोवामुण्डी के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा कराया गया था। किसानों की यह जमा राशि 2012 में परिपक्व हो चुकी है। परन्तु अब तक यह राशि पश्चिम सिंहभूम जिला के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रामों सियालजोड़ा, भानगाँव, कोटगढ़ लखनसाई, मौदी, जामपानी, बड़ाकुमीरता, उईसिया, कुदापीह, सरबील, कुटिन्ता, कुमिरता, दुधबिला, बहदा, इटरबालजोड़ी, बेतेरकिया, लेपांग एवं लोकोसाई के हजारों कृषकों को इस राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के विमित किसानों को उनका परिपक्व विमित राशि शीघ्र भुगतान हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ।	कृषि एवं गन्ना विकास

01.	02.	03.	04.
04-	श्री नलिन सोरेन एवं श्री रवीन्द्र नाथ महतो स0वि0स0	संताल परगना प्रमंडल अविभाजित बिहार के समय से ही उद्योग विहीन एवं सिंचाई सुविधा से वंचित कृषि मामले में मानसून आधारित फसल, धान की खेती पर ही यहाँ के निवासी आश्रित है। इस प्रमंडल के बड़े भू-भाग के नीचे पत्थर रहने के कारण अधिकांशतः जमीन परती है जो खेती योग्य नहीं है। इस क्षेत्र में पत्थर उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में रोजी-रोटी व रोजगार मुहैया कराने का काफी बड़ा साधन है। इस प्रमंडल के अन्तर्गत दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा एवं गोड्डा जिलों में रोजगार उपलब्ध कराने एवं अर्थव्यवस्था पत्थर खदानों/क्रशरों से जुड़ी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (C) No-19628-19629/2009 दिनांक- 27.02.2012 में आदेश दिया था कि The Lease of mineral including their renewal for an anrea less than 5 Hectare be granted State & Union Territory only after getting environmental clearance from MOEF" संबंधित आदेश पारित होने के बाद पर्यावरणीय सहमति प्राप्त करना लंबी एवं जटिल प्रक्रिया है। इस कारण सैंकड़ों पत्थर खदान/क्रशर नवीकरण की प्रत्याशा में बंद पड़े है तथा नये खनन् पट्टे भी निर्गत नहीं हो रहे है। इस संबंध में झारखण्ड राज्य पत्थर उद्योग संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन दिनांक-21.09.2013 को उपर्युक्त मामले में दिया था एवं वस्तुस्थिति से व अपनी मांगों से अवगत कराया, सरकार द्वारा कुछ मांगों को सही मानकर संबंधित विभागों को लागू करने को लिखा गया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारत सरकार के द्वारा दिनांक-12.01.2015 के राजपत्र गजट में किये गये संशोधन The mines and mineral (Development and Regulation) Amendment Ordinance- 2015 द्वारा पारित आदेश में MMDR Act 1957 के कंडिका-8 में संशोधन करते हुए अधिसूचना के अवस्थित समय से पूर्व सभी खनन् पट्टे की लीज समयावधि 50 वर्ष कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा MMDR Act 1957 के तहत् उपरोक्त संशोधन के तहत् राज्य सरकार भी राज्य के लघु खनिज पट्टों में लागू करते हुए पूर्व से धारित खनिज पट्टों को 2030 तक समयावधि विस्तारित करने की अनुमति प्रदान करे।	खनन एवं भूतत्व

01.	02.	03.	04.
		झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद् के ज्ञापांक-2141 दिनांक- 06.08.2011 के द्वारा दूरी से संबंधित मापदंड बनाये गये थे। इन्हीं प्रावधानों के तहत् दिनांक-06.08.2011 के तहत् खनन पट्टों की लीज स्वीकृति दी जाती थी। परंतु खनन पट्टों के नवीकरण के समय SEIAA झारखण्ड द्वारा नये मापदंडों के आधार पर दूरी निर्धारित कर दिया गया है जिससे और भी जटिल समस्या खड़ी हो गयी है। राज्य के पत्थर उद्योग में लगने वाला वाणिज्य कर 14 प्रतिशत है जबकि सटे पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों में 5 प्रतिशत है। इसे भी 5 प्रतिशत किया जाय। पूर्व में लघु खनिज अल्पावधि के लिए अग्रिम स्वाभिस्व जमा कर परमिट निर्गत की जाती थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में अल्पावधि परमिट हेतु कुछ भी नहीं कहा है और न खनन पट्टे निर्गत पर रोक लगायी है लेकिन खनन विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि दिनांक-31.12.2014 के बाद ऑनलाईन परिवहन चालान लागू करना है। इंटरनेट नेटवर्क की समस्याएं/बिजली/कुशल कामगार लागू करने में अनेक जटिलताएं हैं, इसे स्थगित कर पुनः मुद्रित चालान की व्यवस्था लागू करने हेतु व नियमों में संशोधन/शिथिल/लचीला रूप अपनाकर पत्थर उद्योग को एवं राज्य के लाखों मजदूर जो भूखमरी के कगार पर खड़े है, पत्थर उद्योग को पुर्नजीवन प्रदान करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
05-	सर्वश्री रामकुमार पाहन, अनन्त कुमार ओझा एवं श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	केन्द्र सरकार के छठे वेतन आयोग की अनुसंशा के आलोक में केन्द्र सरकार एवं बिहार सरकार अपने योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को बिना किसी परीक्षा के प्रोन्नति देते हुए लिपिकीय संवर्ग में उत्क्रमित कर दिया है। केन्द्र के उक्त छठे वेतन आयोग की अनुसंशा के आलोक में झारखण्ड सरकार द्वारा भी अपने सभी कर्मियों के लिए सेवाशर्त एवं वेतनादि का निर्धारण संकल्प संख्या-660/28.02.2008 के द्वारा कर दिया गया है परन्तु झारखण्ड राज्य के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के सेवाशर्त का निर्धारण केन्द्र के अनुसार अभी तक नहीं किया गया है। जबकि तत्कालीन वित्त सचिव द्वारा इन चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के सेवाशर्त के निर्धारण हेतु आदेश दिया गया था। साथ ही इन्हें प्रोन्नति देने हेतु भी राजस्व पर्षद द्वारा भी अनुमोदन कर दिया गया था।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा

01.	02.	03.	04.
		इन चतुर्थवर्गीय कर्मियों को केन्द्र एवं बिहार सरकार के अनुरूप लिपिकीय संवर्ग में उत्क्रमित नहीं कर झारखण्ड सरकार द्वारा समता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। अतः बिहार सरकार द्वारा अपने चतुर्थवर्गीय कर्मियों के पदों का लिपिकीय संवर्ग में उत्क्रमण के अनुरूप झारखण्ड सरकार द्वारा भी अपने चतुर्थवर्गीय कर्मियों को उत्क्रमित करते हुए लिपिकीय संवर्ग में प्रोन्नत किये जाने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	

राँची
दिनांक- 17 मार्च, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-1360/वि0स0,राँची,दिनांक- 16/3/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय, राँची/योजना एवं विकास विभाग/ मानव संसाधन विकास विभाग/ कृषि एवं गन्ना विकास विभाग/ खनन एवं भूतत्व विभाग तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/15
(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-1360/वि0स0,राँची,दिनांक- 16/3/15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

16/3/15
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

16.03.15